प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः– सीपीएस जयपुर ... वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......122/2023...... दिनांक......19/5/2023

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 अधिनियम 1988 धाराये :–13(1)(सी)(डी)13(2).

(2) अधिनियम – भारतीय दण्ड संहिता .... धाराये :– 409, 477ए, 120बी

(3) अधिनियम .... धाराये :–................................

(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............392............समय......7:45 PM......

(ब) अपराध के घटने का दिन :– वर्ष 2013–14

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थलः– ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उजलां तह0 पोकरण जिला जैसलमेर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – चौकी जैसलमेर से पूरब दिशा 125 किमी0

(ब) पता :– ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उजलां तह0 पोकरण जिला जैसलमेर

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्ता

(अ) नाम :– श्री गुमानसिह

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री खेतदान

(स) जन्म तिथि/वर्ष :–

(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी...................

(र) व्यवसाय :– खेतीबाडी

(ल) पता :–ग्राम पोस्ट उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

(1) श्री मधुसूदन छंगाणी तत्कालिन शाखा प्रबन्धक दी जैसलमेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा पोकरण जिला जैसलमेर ।

(2) श्री चैनसिंह उज्जवल तत्कालिन अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।

(3) श्री मूलाराम पुत्र श्री रूगाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
(4) श्री मोबताराम पुत्र श्री चैनाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
(5) श्री लालाराम पुत्र श्री उर्जाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
(6) श्री प्रकाश पुत्र श्री मूलाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
(7) श्री अर्जुनराम पुत्र श्री चैनाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
(8) श्रीमति अणछी पत्नि श्री रूगाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
(9) श्रीमति अनु पत्नि श्री रूगाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

51

(10) श्रीमति गवरी पत्नि श्री मूलाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

(11) श्री करणीदान पुत्र श्री वैणीदान निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

(12) श्रीमति उछबकंवर पत्नि श्री ओमप्रकाश निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

(13) श्री नरसिंगाराम पुत्र श्री चौखाराम निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

(14) श्रीमति मालतीदेवी पत्नि घनश्याम छगाणी निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर व अन्य।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण – .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य–

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

महोदय,

निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के पत्रांक 8654–55 दिनांक 17.07.2019 के सलग्न परिवादी श्री गुमानसिंह पुत्र खेतदान जाति चारण निवारी ग्राम पोरट उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा प्रेशित ि ाकायत पर परिवाद संख्या 213/19 विरूद्व श्री मधुसूदन छंगाणी हाल शाखा प्रबन्धक दी जैसलमेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा पोकरण जिला जैसलमेर व चैनसिंह उज्जवल अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी रामिति लि0 उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर एवं अन्य के दर्ज कर वास्ते सत्यापन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। परिवादी श्री गुमानसिंह ने परिवाद में अंकित किया कि 1. मधुसुदन छंगाणी शाखा प्रबन्धक दी जैसलमेर सेन्ट्रल को– आपरेटिव बैक लिमिटेड जैसलमेर शाखा पोकरण, श्री चैनसिंह उज्ज्वल अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उजलॉ में रवी की फसल सन् 2014–15 में 16 व्यक्तियों के नाम ऋण वितरण कर उजला प नाथुसर में एक ही सोसायटी के द्वारा किसानों के साथ धोखाधडी कर 16 लोगो के नाम से रवी ऋण उटाया गया जबकि ग्राम उजला में नहर या कुएं नही है उजला ग्राम सोसायटी वर्षात पर निर्भर है। फिर भी इन डकेतो ने 16 व्यक्तियों के 16 लाख रूपये रवी लोन देकर 16 किसानों के नाम लिख दिया जबकि किसानों को इस बात का पता तक नही लगने दिया जिसका रेवेन्यु रेकर्ड की प्रति साथ में संलग्न है कि उजला ग्राम सेवा सहकारी समिति के 5 ग्रामों में कही भी कुआं नही है। जिनकी रैवेन्यु रेकर्ड के अनुसार जिंसवार प्रति संलग्न है। सन् 2014–15 में 16 व्यक्तियों के नाम ऋण वितरण की सुची में नाम

1. मूलाराम/रूगाराम –नाथुसर
2. . मोवताराम/चैनाराम –नाथुसर
3. . लालाराम/उर्जाराम– नाथुसर
4. . लालाराम पुत्र चैनाराम –नाथुसर
5. प्रकाश/मूलाराम –नाथुसर
6. अर्जुनराम/चैनाराम– नाथुसर.
7. अणछी/रूगाराम – नाथुसर
8. अनु/रूगाराम –नाथुसर
9. गवरी/मूलाराम निवासी –नाथुसर
10 बन्नेसिह/ शिवकरणदान –उजला
11.करणीदान/वैणीदान –उजला
12.उछबकंवर/ओमप्रकाश –उजला

13.किरण पत्नी श्री जब्बरसिंह –उजला
14. आमाराम / हरचन्दराम –उजला
15.नरसिगाराम / चौखाराम –उजला
16. विजयसिह / आन्नद कुमार –उजला

2. स्वीर्गीय नथीयों देवी पत्नी श्री जानकीलाल छंगाणी की 19.05.2012 को स्वर्गवास हो चुका है मगर आज दिनांक तक उनका खरीफ एस0टी0 लोन हो रहा है। और भी ऐसे कई मामले है जिनमें मृतको के नाम से लोन लिया जा रहा है। 2016–17 एस0टी. लोन में स्वर्गीय नथीायों देवी पत्नी जानकीलाल छंगाणी सुची में शामिल है जबकि नथीयों देवी का 19.05.2012 को स्वर्गवास हो चुका था मगर श्री मधुसुदन छंगाणी शाखा प्रबन्धक दी जैसलमेर सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैक लिमिटेड जैसलमेर शाखा पोकरण, श्री चैनसिंह उज्जवल अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उजला आज तक उनका लोन का रूपया पैसा उठा रहे है। नथीयों देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

3. मै तेजाराम प लालुराम मेंघवाल निवासी उजला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर को हु मेरा एस0टी लोन का पैसा उठाया जाता है व बैक मैनेजर व अध्यक्ष आपस में बन्दर बाट कर देते है। व मुझे किसी प्रकार का रूपया पैसा नही दिया जाता है। मेरा नाम एस0टी लोन सूची में क्रमांक 31 पर अंकित है। अतः मै आपसे अनुरोध करता हुँ कि मै दलित समुदाय का होने व शाखा प्रबन्धक व अध्यक्ष के दंबगाई प्रवृति के कारण मुझ गरीब का सम्पुर्ण लोन आपस में बॉट कर हडप लिया जाता है।

4.मै भंवरदान पुत्र गुमानसिह चारण निवासी उजला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर का रहने वाला हुँ मै 2010–11 से को ऑपरेटिव का सदस्य रहा हुँ व मेरा समय पर एस0टी0 लोन मिलता रहा व जमा होता रहा है मेरा कोई बकाया पैसा नही है इन व्यक्तियों ने 2017 में मेरा एस0टी0 लोन नही किया जबकि मृत व्यक्तियों का एस0टी0 लोन उठा रहे है। मेरे द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी मुझे एस0टी0 लोन नही दिया जा रहा है।

5.मै तेजुदान पुत्र श्री प्रेमदान चारण निवासी उजलॉ तहसील पोकरण जिला जैसलमेर का रहने वाला हुँ मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मेरा एस0टी0 लोन नही किया गया जबकि मृत व्यक्तियों का एस0टी0 लोन उठा रहे है। मेरे द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी एस0टी0 लोन नही दिया जा रहा है। उपरोक्त शाखा प्रबन्धक हाई एप्रोज एवं दबंगाई गुणों से पुरित होने के कारण व इनके कई संबंधियों का उच्च पदों पर आसीन होने के कारण ये भ्रष्ट शाखा प्रबन्धक इस पोकरण शाखा में बाबू से लेकर को ऑपरेटिव बैक शाखा मैनेजर पद तक बना है। और यही पर अपना साम्राज्य बनाकर बैठा है व समितियों के अध्यक्ष व व्यवस्थापकों से मिलकर कई करोडों का घोटाला किया हुआ है। जिसका किसी ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी से जॉच करवाकर एवं भौतिक सत्यापन करवा कर गरीब किसानों का राहत प्रदान करावे इत्यादि आरोपो पर सत्यापन श्री अनिल पुरोहित उप अधीक्षक पुलिस एंव तत्पश्चात अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जैसलमेर द्वारा किया गया।

परिवाद के सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गुमानसिंह के बयान दिनांक 28.08.2019 को लिये गये। दी जैसलमेर सेन्ट्रल को ओपरेटिव बैक लि0 प्रधान कार्यालय जैसलमेर के पत्रांक 7842 दिनांक 30.03.2021 द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की गयी। श्री मधुसुदन छगाणी शाखा प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री आसूसिह ऋण प्रवेक्षक के बयान दिनांक 09.04.2021 को लिये गये। परिवादी के बयान, आरोपी का स्पष्टीकरण एंव गवाह के बयान से पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा किसानो को ऋण उपलब्ध कराने के लिये तथा ग्राम स्तर पर ग्रामीणो को अन्य सुविधाए उपलब्ध करवाने के लिये सहकारी समिति का गठन किया जाता है। इस समिति मे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एंव 9 सदस्य होते है। यह समिति सदस्यो को ऋण वितरण करने का कार्य करती है। को –ओपरेटिव बैक शाखा मेनेजर का दायित्व समिति के व्यवस्थापक द्वारा कमेटी स्तर अनुमोदित

ऋण वितरण सूची के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाना होता है। उक्त सूची अनुसार पारित ऋण का पैसा को –ऑपरेटिव बैंक अपने खाते से समिति के नामे ऋण लिखकर समिति के मिनी बैंक के खाते में जमा कर देती है। समिति मे ऋण लेने के लिये कृषक सदस्य बन सकता है। समिति के कार्य क्षेत्र मे निवास करने वाला कृषक समिति मे आवेदन प्रस्तुत करता है। जिसमे गिरदावरी, पास बुक की फोटो प्रति देनी होती है। समिति द्वारा सदस्यो की साख सीमा तैयार कर ऋण पर्यवेक्षक से जांच करवाकर बैंक शाखा मे प्रस्तुत की जाती है। जहा से प्रधान कार्यालय मे स्वीकृत होने पर स्वीकृति आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक को तथा एक प्रति समिति व्यवस्थापक को प्राप्त होने पर अल्प कालिन ऋण (एसटी) दिया जाता है। सदस्य की अधिकतम शाख सीमा 1.50 लाख रूपये तक होती है। परिवाद के सत्यापन से पाया गया कि वर्ष 2014–15 मे निम्नाकित व्यक्तियो को रबी ऋण दिया गया है–

क. स.	नाम / पिता का नाम	निवासी	ऋण देने की तारिख	ऋण राशि
1	मूलाराम / रूगाराम	नाथूसर	12.11.14	105010
2	मोबताराम / चैनाराम	नाथूसर	25.06.08	10525
3	लालाराम / उर्जाराम	नाथूसर	07.04.14	51820
4	प्रकाश / मूलाराम	नाथूसर	12.11.14	105010
5	अर्जुनराम / चैनाराम	नाथूसर	30.07.12	36154
6	अणछी / रूगाराम	नाथूसर	12.11.14	105010
7	अनु / रूगाराम	नाथूसर	12.11.14	105010
8	गवरी / मूलाराम	नाथूसर	12.11.14	105010
9	करणीदान / वैणीदान	उजलां	14.06.17	50523
10	उछबकंवर / ओमप्रकाश	उजलां	14.06.17	50523
11	नरसिगाराम / चौखाराम	उजलां	12.11.14	52338

इस तरह उपरोक्त व्यक्तियो को ट्यूबवेल से सिचाई हेतु रबी की फसल का ऋण दिया गया था। इस संबंध में विभागीय स्तर पर हुई जांच के अनुसार दिनांक 03.08.2018 को ट्युबवेल पर बिजली की लाईन तो है परन्तु ट्युबवेल पर कनेक्शन नही है तथा न ही जमीन सिंचित पायी गयी है। इस तरह रबी की फसल के लिये सिंचित भूमि के कृषको को ही ऋण दिया जाता है। लेकिन उक्त असिंचित भूमि के कृषको को भी सिंचित कृषक मान कर नियम विरूद्ध ऋण दिया गया है। साख सीमा वर्ष 2013–16 दिनांक 26.06.2013 के कम संख्या 18 पर श्रीमति नथियो देवी पत्नि श्री जानकीलाल का नाम दर्ज है। इसी स्वीकृत शाख सीमा के कम संख्या 155 पर श्रीमति मालतीदेवी पत्नि श्री घनश्याम का नाम दर्ज है। इस तरह श्रीमति नथियो देवी का देहान्त दिनांक 19.06.2012 को हो गया था लेकिन उसका नाम दिनांक 26.06.2013 को स्वीकृत शाख सीमा मे दर्शाया जाकर 53080 रूपये का भुगतान किया गया है। इस शाख सीमा के साथ भूमि का विवरण रजिस्टर एंव पटवारी से गिरदावरी रिपोर्ट नही ली गयी है। विभागीय जांच के दौरान व्यवस्थापक द्वारा बताया गया कि श्रीमति नथियोदेवी की जगह श्रीमति मालती देवी पत्नि घनश्याम छगाणी द्वारा लेन देन किया गया है। शाख सीमा के कम संख्या 49 पर श्रीमति मालतीदेवी पत्नि श्री घनश्याम जिसे नथियोदेवी की जगह नाम स्वीकृत है इनकी सदस्यता कमांक 552 एंव भूमि विवरण कमांक 240 है श्रीमति मालतीदेवी पत्नि घनश्याम की जमीन 24 एकड लिखी होकर शाख सीमा वर्ष 2013–16 मे कमांक 155 भी है जिसका खाता संख्या 418 व भूमि विवरण 119 लिखा होकर भूमि 20 लिखी हुई है। इस तरह एक ही पीरियड वर्ष 2013–16 की दो–दो शाख सीमा दिनांक 20.07.2012 एंव 26.06.2013 स्वीकृत है। इस तरह सत्यापन से पाया गया कि श्रीमति नथियोदेवी की मृत्यु के पश्चात भूमि विवरण नही होते हुए भी उसकी शाख सीमा स्वीकृत की गयी है तथा श्रीमति मालतीदेवी पत्नि घनश्याम छगाणी की एक ही पीरियड मे दो बार शाख सीमा स्वीकृत हुई है। इस प्रकार परिवाद के सत्यापन से पाया गया कि श्री मधुसूदन छंगाणी, श्री चैनसिह उज्जवल, तथा कुल

11 लाभार्थी काश्तकारों तथा श्रीमति मालती देवी व अन्य द्वारा षडयत्र पूर्वक,पद का दुरूपयोग कर, असिचित काश्तकारो को सिचित भूमि संबंधि ऋण राशि 7,76,933 व मृतक को मृत्यु पश्चात 53080 रूपये का तथा एक ही व्यक्ति को दोहरा ऋण स्वीकृत कर राजकोष को कुल 8,30,013 रूपये का आर्थिक नुकसान पहुचाया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः (1).श्री मधुसुदन छंगाणी तत्का0 शाखा प्रबंधक दी जैसलमेर सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैक लि0 शाखा पोकरण, (2). श्री चैनसिंह उज्जवल तत्का0 अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर एवं लाभार्थी काश्तकार (3) श्री मूलाराम पुत्र श्री रूगाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (4) श्री मोबताराम पुत्र श्री चैनाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (5) श्री लालाराम पुत्र श्री उर्जाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (6) श्री प्रकाश पुत्र श्री मूलाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (7) श्री अर्जुनराम पुत्र श्री चैनाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (8) श्रीमति अणछी पत्नि श्री रूगाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (9) श्रीमति अनु पत्नि श्री रूगाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (10) श्रीमति गवरी पत्नि श्री मूलाराम निवासी नाथूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (11) श्री करणीदान पुत्र श्री वैणीदान निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (12) श्रीमति उछबकंवर पत्नि श्री ओमप्रकाश निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (13) श्री नरसिगाराम पुत्र श्री चौखाराम निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर एवं (14). श्रीमति मालतीदेवी पत्नि घनश्याम छगाणी निवासी उजलां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व सपठित धारा 409,477ए, 120 बी भा.दं.स. में विना नम्वरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद संख्या 213/2019 के जाँच अधिकारी श्री अन्नराज, तत्कालीन उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर की रिपोर्ट को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर के द्वारा प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 477ए, व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मधुसूदन छंगाणी, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, दी जैसलमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक लि. शाखा पोकरण, जिला जैसलमेर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ के बिन्दू संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 2 लगायत 14 तक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 122/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 923-28 दिनांक 19.5.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जैसलमेर।
3. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितयाँ जैसलमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।
6. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर (परि.सं 213/19)

19.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।